

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 189087
सं0सं0-गा.वि.-5/इं.आ.यो.(रा.वि.)-106-08/2014

पटना, दिनांक 21/06/2014

संकल्प

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 से संशोधित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में ।

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है । इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों को योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में आवासों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु मकान निर्माण कराने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01.04.13 से प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्य में इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।


3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या G-20011/6/2014(A/C) दिनांक 23.04.14 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के पुनर्गठन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 से इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की निधि विमुक्ति की नयी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014-15 से निर्धारित नयी प्रक्रिया के अनुसार राज्य में इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

अनुलग्नक :- भारत सरकार के पत्र संख्या-G-20011/6/2014(A/C) दिनांक 23.04.14

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव 20/6/14

जापांक 189087

पटना, दिनांक 21/06/2014


प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक 189087

पटना, दिनांक 21/06/2014

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 300 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।


सरकार के सचिव
20/6/14

जापांक 189087 पटना, दिनांक 21/06/14
 प्रतिलिपि - सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक 189087 पटना, दिनांक 21/06/14 ^{सरकार के सचिव} 20/6/14
 प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक 189087 पटना, दिनांक 21/06/14 ^{सरकार के सचिव} 20/6/14
 प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक 189087 पटना, दिनांक 21/06/14 ^{सरकार के सचिव} 20/6/14
 प्रतिलिपि - सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
 प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित ।

^{सरकार के सचिव} 20/6/14